हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 17.09.2021 को श्रीयुत विनायक मिनरल्स, मालिक श्री. आशुतोष गुप्ता, मकान संख्या 165, वार्ड संख्या 4, बद्रीपुर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) की मोजा मोहाल बांगरण, खसरा नंबर 1450/901/674/2, 1451/901/674, 1452/901/674, 1453/901/674, और 900/674/2, गांव मानपुर देवड़ा, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) (2.55 हेक्टेयर) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 51636 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 17.09.2021 को श्रीयुत विनायक मिनरल्स, मालिक श्री. आशुतोष गुप्ता, मकान संख्या 165, वार्ड संख्या 4 , बद्रीपुर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई सामुदायिक भवन मानपुर मे की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा **मोजा मोहाल मानपुर देवड़ा, खसरा नंबर 1450/901/674/2, 1451/901/674, 1452/901/674, 1453/901/674, और 900/674/2, (2.55 हेक्टेयर) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता51636 टन प्रति वर्ष)** हेतु, ई. आई. ऐ. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया । इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों सूचि संलग्न-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत कराया गया।

अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदया की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री अमृत सिंह, ग्राम मानपुर देवड़ा, पांवटा साहिब	इन्होने कहा कि स्थानीय निवासी इस क्षेत्र में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों और मौजूदा क्रशर से नाखुश हैं। हमारी जमीन खनन क्षेत्र से सटी हुई है और अक्सर खेत के किनारे से धूल और मिट्टी के कटाव के कारण खेत में हमारी फसल नष्ट हो जाती है। हम इस प्रस्तावित परियोजना का पुरजोर विरोध करते हैं।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रस्तावित परियोजना खनन गतिविधि के लिए है। खनन गतिविधियों के कारण धूल को कम करने के लिए हमने नियमित रूप से पानी के छिड़काव का प्रावधान किया है। खनन कार्य खनन योजना के अनुसार पट्टा क्षेत्र में ही होगा और खनन क्षेत्र आबादी से काफी दूरी पर है।

2	श्री अंकित गुप्ता, ग्राम मानपुर देवड़ा, पांवटा साहिब।	इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले से ही कई क्रशर चल रहे हैं और इस खनन गतिविधि से कच्चे माल की आपूर्ति भी इन क्रशरों को की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें कि क्या सामग्री की आपूर्ति क्रशर को की जाएगी या यह एक खुली बिक्री खनन परियोजना है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह परियोजना खनन गतिविधि के लिए है और खनन सामग्री खनन पट्टे से प्रस्तावित क्रशर पर ही ले जायी जाएगी जोकि पहले से स्थापित क्रशर क्षेत्र मे प्रस्तावित है तथा पट्टा क्षेत्र से लगभग 1.5 किमी की दूरी पर है।
3	श्री ऋषि राम पाल, ग्राम मानपुर देवड़ा, पांवटा साहिब।	इन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में कोई और क्रशर नहीं होना चाहिए। हम इस पर आंदोलन करते हैं या हम किसी और गांव में शिफ्ट हो जाएंगे।	
4	श्री जगन सिंह ग्राम मानपुर देवड़ा, पांवटा साहिब।	इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अक्सर गिरि और यमुना नदी से खनन पहले से संचालित इकाइयों द्वारा आवंटित पट्टा क्षेत्र के बजाय अन्य स्थान से किया जाता था। स्टोन क्रशर के संचालन के कारण सड़क की स्थिति भी बहुत खराब है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि चूंकि हमारे पास पर्याप्त खनन पट्टा क्षेत्र और संचालन के लिए आवश्यक मात्रा है, इसलिए, किसी अन्य स्थान / नदी से सामग्री उठाने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपनी परियोजना को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सरकारी प्राधिकरणों के सभी मापदंडो का पालन करते हुए चलाएंगे।
5	श्री सुरेश भारद्वाज, खनन अधिकारी, नाहन।		इन्होंने कहा कि ग्राम बांगरान से मानपुर देवरा तक गिरि और यमुना नदी में अधिकांश निजी भूमि स्थानीय लोगों द्वारा पट्टे पर दी गई है। साथ ही स्थानीय पंचायतों ने ऐसी परियोजनाओं के लिए एन.ओ.सी. भी दे दी है। ऐसी परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोग ही लाभान्वित होते हैं। कई स्थानीय लोगों के पास परियोजनाओं में रोजगार है और कई ने पट्टे क्षेत्र से क्रशर साइटों

			तक खनिजों के परिवहन के लिए अपने वाहन किराए पर दिए हैं। खनन विभाग की भूमिका खनन गतिविधि को विनियमित और जाँचना है कि क्या खनन नियमों के अनुसार हो रहा है। खनन विभाग स्थानीय लोगों के छोटे से छोटे सवाल या शिकायत निवारण हेतु हर समय उपलब्ध रहता है।
6	श्री रविंदर सैनी, ग्राम नवादा, पांवटा साहिब।	इन्होने कहा कि हम इस परियोजना का समर्थन करते हैं। खनन गतिविधि आवश्यक है क्योंकि यह नदी के रास्ते को साफ करती है और हमारे गांव को बाढ़ से बचाती है क्योंकि हमारा गांव नदी के निकट निचले इलाके में स्थित है। अधिकांश स्थानीय लोग इन खनन और स्टोन क्रशर परियोजनाओं पर रोजगार के लिए निर्भर हैं।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा हम भविष्य में भी हर प्रकार की सामाजिक सहयोग और सहायता करते रहेंगे तथा जनता को आश्वस्त करते है की नियमो के अनुरूप ही खनन कार्य किया जायेगा।
7	श्री अरशद अली, ग्राम मानपुर देवड़ा, पांवटा साहिब।	पहले हमारे गाँव में लगभग 5-6 ट्रैक्टर होते थे जो इस क्षेत्र में चल रही खनन परियोजनाओं के कारण अब बढ़कर 500 से ऊपर हो गए हैं। ये ट्रैक्टर लीज एरिया से क्रशर साइट तक सामग्री पहुंचाने का कारोबार करते हैं। इससे स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हम इस परियोजना का पुरजोर समर्थन करते हैं।	
8	श्री तोहिद, ग्राम मानपुर देवड़ा, पांवटा साहिब।	अधिकांश स्थानीय लोग ऐसी परियोजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन हम यहां जो जन आक्रोश देख रहे हैं, वह प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ नहीं है, बल्कि यहां की पिछली परियोजनाओं के खिलाफ है जिन्होंने	

		मापदंडो का पालन नहीं किया है। यद्यपि मौजूदा क्रेशर इकाइयां जिनमें से एक इकाई परियोजना प्रस्तावक की है। इन्होने स्थानीय लोगों की सामजिक कार्यो में मदद की है, जैसे स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरों के निर्माण, गरीबों और जरूरतमंदों को चिकित्सा उपचार आदि। क्रशर से तैयार सामग्री को सीमांकित प्रवेश और निकास मार्गों के माध्यम से परिवहन के लिए उचित योजना होनी चाहिए।	

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है।

अंत मे जनसुनवाई के समापन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

30/9/21

अतिरिक्त उपायुक्त

नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)